न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर—द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 68/2019
निर्णय दिनांक : 05.03.2024

1. कमल कुमार कोठारी पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह कोठारी, जाति जैन, निवासी प्लाट नम्बर 101/5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 439 लगायत 444 ग्राम मानपुरा देवरी उर्फ गोल्यावास पटवार हल्का कल्याणपुरा में स्थित है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 439 लगायत 444 ग्राम मानपुरा देवरी उर्फ गोल्यावास पटवार से जमाबन्दी की नकल दिनांक 08.01.2023 को ली थी, उसमें प्रार्थी का नाम कमल कुमार कोठारी पुत्र श्री भंवर सिंह कोठारी दर्ज था। सम्वत 2056 से 2059 की जमाबन्दी में कम्प्यूटर पर दर्ज करते समय कम्प्यूटर कर्मी द्वारा प्रार्थी का नाम कमल कुमार कोठारी से बदलकर केवल चन्द पुत्र भंवर सिंह कोठारी कर दिया गया। जबकि उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम के उपर केवल चन्द नाम अन्य काश्तकार प्रकाश चन्द हिरावत के पिता का नाम है। (प्रकाश चन्द हीरावत पुत्र स्व0 केवल चन्द) अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 439 लगायत 444 में मेरा नाम कमल कुमार कोठारी पुत्र स्व0 भंवर सिंह कोठारी दर्ज किया जावे व आदेश प्रदान किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार सांगानेर की ओर से [illegible] में जवाब पेश नही किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 439 लगायत 444 ग्राम मानपुरा देवरी उर्फ गोल्यावास पटवार हल्का कल्याणपुरा में स्थित है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 439 लगायत 444 ग्राम मानपुरा देवरी उर्फ गोल्यावास पटवार से जमाबन्दी की नकल दिनांक 08.01.2023 को ली थी, उसमें प्रार्थी का नाम कमल कुमार कोठारी पुत्र श्री भंवर सिंह कोठारी दर्ज था। सम्वत 2056 से 2059 की जमाबन्दी में कम्प्यूटर पर दर्ज करते समय कम्प्यूटर कर्मी द्वारा प्रार्थी का नाम कमल कुमार कोठारी से बदलकर केवल चन्द पुत्र भंवर सिंह कोठारी कर दिया गया। जबकि उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम के उपर केवल चन्द नाम अन्य काश्तकार प्रकाश चन्द हिरावत के पिता का नाम है। (प्रकाश चन्द हीरावत पुत्र स्व0 केवल चन्द) अतः खसरा नम्बर 439 लगायत 444 में मेरा नाम कमल कुमार कोठारी पुत्र स्व0 भंवर सिंह कोठारी दर्ज किया जावे व आदेश प्रदान किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दौराने पत्रावली अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम मानपुर देवरी, पटवार हल्का कल्याणपुरा भू0अ0नि0क्षे0 सांगानेर, तह0 सांगानेर की राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में प्रार्थी का नाम कमल कुमार पुत्र भंवर सिंह कोठारी हिस्सा 1/20 दर्ज है एवं अन्य सहखातेदार प्रकाश चन्द हिरावत पुत्र स्व0 केवलचन्द जाति जैन हिस्सा 1/20 दर्ज है। इसके उपरान्त उक्त राजस्व ग्राम की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में प्रार्थी का नाम केवलचन्द पुत्र भंवर सिंह कोठारी हिस्सा 1/20 दर्ज है एवं अन्य सहखातेदार प्रकाश चन्द हिरावत पुत्र स्व0 केवलचन्द जाति जैन हिस्सा 1/20 दर्ज है जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा कम्प्यूटर में दर्ज करते समय जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में सहवन से प्रार्थी का नाम कमल कुमार पुत्र भंवर सिंह कोठारी की जगह केवलचन्द पुत्र भंवर सिंह कोठारी दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम मानपुर देवरी, पटवार हल्का कल्याणपुरा भू0अ0नि0क्षे0 सांगानेर, तह0 सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 439 लगायत 444 में प्रार्थी का नाम केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

चन्द पुत्र भंवर सिंह कोठारी के स्थान पर कमल कुमार पुत्र भंवर सिंह कोठारी किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:17:57 IST
Reason: SelfAttested